माजु मलिक व अन्य बनाम थोमस सैमन सिरिल हंस व अन्य

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक ....से .... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–जमाबंदी निरस्तीकरण वाद सं०–24/2023

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
20/1/24		

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा निम्नांकित विवरणी भूमि में विपक्षीगण के कायम जमाबन्दी को निरस्तीकरण के संबंध में आवेदन दिया गया है:–

जमीन का विवरण

अंचल/मौजा	थाना न0	खाता नं0
नामकुम/डुण्डू	264	32

आवेदक का कहना है कि उपरोक्त भूमि खतियान में रहमान खान के नाम पर दर्ज है एवं कायमी है। विपक्षीगण द्वारा गलत कागजात के आधार पर अवैध रूप से जमाबन्दी कायम कर ली गई है।

अतः आवेदक विपक्षीगण के कायम जमाबन्दी को निरस्तीकरण हेतु निवेदन करते है।

आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचलाधिकारी नामकुम से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अंचलाधिकारी के पत्रांक–1920, दिनांक–23.11.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है।

इन्होने प्रतिवेदित किया है कि :–

1. सर्वे खतियान का विवरणी सर्वे खतियान के अनुसार मौजा दुन्दु, थाना सं. –274, खाता सं०–32 रैयत रहमान खाँ वल्द गुलाम अली खाँ वो बुचा खाँ वल्द अधीन खाँ जाति–मुसलमान के नाम से ऑनलाईन सर्वे खतियान में कायमी दर्ज है। पंजी II में मौजा दुन्दु, थाना सं.–274, खाता सं०–32 खेसरा सं० 776, 820, 824, 825, 826, 888,

821 क्रमशः रकबा 46 डी०, 43 डी०, 7 डी०, 46 डी०, 39 डी०, 1 ए० 68 डी०, 2 ए० 11 डी० एवं 33 डी० कुल परिमाप 5 ए० 93 डी० जमीन रैयत श्रीमति खीस्त मोदति मुका हंस जौजे एस०ए०बी०डी० हंस के नाम से ऑनलाईन पंजी II में भाग सं० 1 पृष्ठ सं०–88 में जमाबंदी संधारित है।

2. पंजी–II का विवरणी पंजी II के परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद सं०–23 R27/1978–79 दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 वसूली वर्ष अंकित है।

3. विवादग्रस्त भूमि का राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा किया गया स्थानीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा सं 776, 820, 821 में प्रथम प्रकाश अग्रवाल, निवासी अपर बाजार, राँची द्वारा चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है। खेसरा सं0 825 में मल्लु मलिक पिता स्व मोहर मलिक को अशरफ मलिक, दोनो निवासी चचकोपी, बेड़ो राँची द्वारा चाहरदिवारी कराई गयी है। इन्होनें केवाला संख्या–7634 दिनांक 06.12.2022 के द्वारा सागीर अंसारी, पिता–मोफित अंसारी, निवासी घुटिया थाना–धुर्वा राँची से भूमि क्रय किया है। इसकी छायाप्रति संलग्न है। खेसरा संख्या 826 में पावर ग्रिड निर्मित है। शेष भूमि खाली एवं परती है।

अभिलेख में संलग्न आवेदक का आवेदन एवं अंचलाधिकारी नामकुम का प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अतः यदि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर दखल निर्विवाद हो, आवेदित भूमि के संबंध में किसी समक्ष न्यायालय द्वारा प्रतिकूल/स्थगन आदेश पारित नही किया गया हो एवम आवेदित भूमि सरकारी प्रायोजन हेतु अर्जित न हो, न ही निकट भविष्य में भू–अर्जन का प्रस्ताव हो, तो अंचलाधिकारी नामकुम आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षी का जमाबन्दी विलोपन एंव आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि हेतु विधि–सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/1/24
अपर समाहर्त्ता
राँची।

20/1/24
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 11:58:33 +05:30
Location: 192.168.2.175